

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/434/2012

दर्ज दिनांक:- 26.10.2012

1. मुनेश पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. बलवीर पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-09.02.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई। किन्तु उपस्थित नहीं। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर